

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुमन देवी

बनाम

पधानायाक, G.S.S. जालमपुरा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 186/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सुमन देवी</u></p> <p>पति श्री <u>राजकम जार</u></p> <p>निवासी- <u>बडडा नं. निम्कोडा</u> तहसील <u>जालमपुरा</u> जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>जालमपुरा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>956</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.1000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>जालमपुरा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>956</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.10</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षर <u>पांच के 500</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवल) सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>